उत्तर प्रदेश सरकार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग–2
संख्या– 4-56 /18–2–2020–12(ल0उ0)/2019
लखनऊः दिनांकः14 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के स्थापन एवं संचालन में सुगमता लाने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। इस हेतु प्रदेश में उद्योगों को प्रत्येक प्रकार की सुविधा के लिए हर स्तर से प्रयास किया जा रहा है। इसी कम में प्रदेश में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों की प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा प्रदेश सरकार के समक्ष यह कठिनाई प्रस्तुत की जाती रही है कि प्रदेश में केवल एक मात्र फैसिलिटेशन काउंसिल कानपुर में कार्यरत होने के कारण प्रदेश की बहुत सारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों के भुगतान संबंधी समस्याओं का समय से निराकरण नहीं हो पा रहा है। अतः प्रदेश में एक से अधिक फैसिलिटेशन काउंसिल की स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त के कम में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों के भुगतान संबंधी समस्याओं तथा उन्हें भुगतान में धनराशियां अटकी रहने के कारण कार्यशील पूंजी में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु प्रत्येक मण्डल में एक फैसिलिटेशन काउंसिल की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस हेतु मा0 विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम, 2020 की धारा 12 के अनुसार मण्डलायुक्तों की अध्यक्षता में फैसिलिटेशन काउंसिल का गठन एतद्द्वारा किया जाता है, जिसका स्वरूप, शक्तियां, कार्य प्रकिया आदि निर्धारित करने हेतु निम्नवत अधिसूचित किये जाने का निर्णय लिया जाता हैः–

(1) प्रत्येक मण्डल में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में फैसिलिटेशन काउंसिल की स्थापना इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रारम्भ हो जाएगी। फैसिलिटेशन काउंसिल का स्वरूप निम्नवत होगाः–

1.	संबंधित मण्डलायुक्त	– अध्यक्ष
2.	इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोशिएसन द्वारा नामित प्रतिनिधि	– सदस्य
3.	लघु उद्योग भारती द्वारा नामित प्रतिनिधि	– सदस्य
4.	मण्डल मुख्यालय जनपद के लीड बैंक मैनेजर	– सदस्य
5.	संबंधित मण्डल के संयुक्त आयुक्त, उद्योग	– सदस्य–सचिव

(2) इस फैसिलिटेशन काउंसिल को यथा संशोधित "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–27 सन् 2006)" की धारा 21 की उप–धारा 3 की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी तथा सभी मण्डलीय फैसिलिटेशन काउंसिल "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–27 सन् 2006)" के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया के अधीन कार्य करेंगे।

(3) इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रदेश स्तरीय फैसिलिटेशन काउंसिल तथा मण्डल स्तरीय फैसिलिटेशन काउंसिल द्वारा दिये गये निर्णयों के विरुद्ध यदि कोई भी संस्था "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–27 सन् 2006)" की धारा 19 के अधीन कोई अपील दायर की है तथा उक्त अपील के अंतर्गत फैसिलिटेशन काउंसिल के आदेश पर स्थगन प्राप्त नहीं हुआ है अथवा फैसिलिटेशन काउंसिल का आदेश स्थगित नहीं हुआ है तो फैसिलिटेशन काउंसिल जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से फैसिलिटेशन काउंसिल के अधीन दिये गये आदेश के अंतर्गत दर्शाई गई धनराशि को जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से भू–राजस्व के बकाये की वसूली के लिए वसूली प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है।

(4) फैसिलिटेशन काउंसिल द्वारा जारी किये गये ऐसे वसूली प्रमाण पत्रों को जिला कलेक्टर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा–169 के अंतर्गत भू–राजस्व बकाये के रूप में वसूला जाएगा तथा जिला मजिस्ट्रेट वसूली की धनराशि में से वसूली व्यय घटाते हुए अवशेष धनराशि फैसिलिटेशन काउंसिल को उपलब्ध कराएगा। फैसिलिटेशन काउंसिल उपरोक्त धनराशि प्राप्त होने पर संबंधित संस्था को धनराशि उपलब्ध कराएगा।

(5) प्रत्येक संयुक्त आयुक्त, उद्योग कार्यालय में इस संबंध में एक रजिस्टर रखा जाएगा, जहां पर प्रत्येक फैसिलिटेशन काउंसिल को प्राप्त होने वाले सभी प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाएगा तथा उन्हें एक क्रम संख्या दी जाएगी।

(6) प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए तिथि निश्चित करने हेतु मण्डलायुक्त को पत्रावली प्रस्तुत की जाएगी। मण्डलायुक्त द्वारा इस संबंध में सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की जायेगी। दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात एवं प्रपत्रों के अवलोकन के उपरान्त "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास

अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–27 सन् 2006)" में दी गई प्रकिया का पालन करते हुए अंतिम निर्णय घोषित किया जाएगा।

उपरोक्त सभी निर्देश "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–27 सन् 2006)" में उल्लिखित प्रकिया के अधीन विस्तारित किये जाएंगे।

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त संयुक्त आयुक्त, उद्योग, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त उपायुक्त, उद्योग, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार)
विशेष सचिव।